



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1029 वर्ष 2026

जगदीश सिंह एवं 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुरेन्द्र तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह, रति भान सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. प्रत्यर्थी संख्या-5 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश ओझा द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र तिवारी, प्रत्यर्थी संख्या-5 के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश ओझा तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रत्युत्तर शपथपत्र आमंत्रित किए बिना अंतिम रूप से किया जाता है।
4. प्रत्यर्थी संख्या-6 को प्रारूपिक प्रत्यर्थी बताया गया है, अतः प्रत्यर्थी संख्या-6 को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी के अंतर्गत एक वाद जगदीश सिंह द्वारा, जो याचिकाकर्तागण के याचिकाकर्ता संख्या 1/1 से 1/5 के पिता हैं, जौंधारी को प्रतिवादी बनाते हुए दाखिल किया गया था। उक्त वाद में प्रत्यर्थी संख्या-5 जौंधारी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 11.01.2016 को अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया। वाद के निरस्त होने के विरुद्ध दिनांक 11.01.2016 को पुनर्स्थापना हेतु आवेदन शपथपत्र सहित एवं विलंब क्षमा की प्रार्थना के साथ स्वयं जगदीश सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुनर्स्थापना आवेदन के लंबित रहने के दौरान जगदीश सिंह का निधन हो गया, जिसके पश्चात याचिकाकर्तागण संख्या 1/1 से 1/5 द्वारा, जो कि मृतक जगदीश सिंह के पुत्र, पत्नी एवं पुत्री हैं, प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के विरुद्ध राज्य की ओर से आपति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गई कि दिनांक 11.07.2023 के पुनर्स्थापना आवेदन को निरस्त किया जाए। सहायक उप जिलाधिकारी, राँबट्सगंज, सोनभद्र द्वारा दिनांक 31.07.2025 के आदेश से दिनांक 11.01.2016 के आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्स्थापना आवेदन को स्वीकार कर वाद को मूल संख्या पर विधि अनुसार पुनः विचार हेतु बहाल किया गया। उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2025 के एक अन्य आदेश से मृतक जगदीश सिंह के प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकार किया गया तथा वाद को साक्ष्य के चरण में नियत किया गया, क्योंकि वाद में मुद्दे पूर्व में ही दिनांक 08.06.2011 को विरचित किए जा चुके हैं। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2025 के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील भी सुनवाई उपरांत दिनांक 05.02.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2025 के विरुद्ध ही प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा धारा 333 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 31.07.2025 के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा मामला विचारण न्यायालय को यह निर्देश देते हुए प्रत्यावर्तित किया गया कि वह प्रतिस्थापन के संबंध में आदेश पारित करे तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करे। अतः यह याचिका निम्नलिखित प्रतिकारों हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अभिलेख मंगवाते हुए दिनांक 28.01.2026 को राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रत्यर्थी संख्या-2) द्वारा पुनरीक्षण संख्या 4435 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या एएल20251666004435) जौंधारी बनाम अपर उप जिलाधिकारी, राँबट्सगंज, सोनभद्र एवं अन्य में पारित आक्षेपित आदेश को, उस सीमा तक, निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा दिनांक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.07.2025 के अपर उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र (प्रत्यर्थी संख्या-3) द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 11.07.2023 के पुनर्स्थापना/पुनर्विलोकन आवेदन को स्वीकार किया गया है, तथा प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 31.07.2025 के आदेश को बहाल/यथावत रखा जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अपर उप जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र को निर्देशित किया जाए कि वे वाद/मूल वाद संख्या डी 202416660001897/ डी 2012166600111 (जगदीश (मृतक) एवं अन्य बनाम जौंधारी) को, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत, गुण-दोष के आधार पर एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णयित करें।"

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत जगदीश सिंह द्वारा दाखिल वाद अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था, किन्तु स्वयं जगदीश सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना आवेदन पर उक्त वाद को निरस्तीकरण आदेश को निरस्त करते हुए विधिवत् रूप से मूल संख्या पर पुनर्स्थापित कर दिया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतक जगदीश सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन भी पृथक आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वाद को मूल संख्या पर पुनर्स्थापित करने संबंधी आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा दाखिल अपील निरस्त कर दी गई थी, किन्तु उसी आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण को राजस्व परिषद द्वारा त्रुटिपूर्ण आधार पर स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि जब पुनर्स्थापना आवेदन एवं प्रतिस्थापन आवेदन विधिवत् रूप से स्वीकार किए जा चुके थे, तब राजस्व परिषद द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप वाद घोषणात्मक प्रकृति का है जिसे विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णयित किया जाना आवश्यक है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाए कि वह पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का विधि अनुसार निस्तारण करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. प्रत्यर्थी संख्या-5 के विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन पर कोई आदेश पारित किए बिना ही पुनर्स्थापना आवेदन को अवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वप्रथम प्रतिस्थापन का प्रश्न निर्णीत किया जाना चाहिए, तत्पश्चात ही पुनर्स्थापना कार्यवाही पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पुनर्स्थापना कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ है, अतः प्रत्यर्थी संख्या-5 को आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, किन्तु पुनर्स्थापना आवेदन को अवैधानिक एवं मनमाने ढंग से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग करते हुए पुनर्स्थापना आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश को सही प्रकार से निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के अनुसार प्रतिस्थापन एवं पुनर्स्थापना संबंधी विषयों पर प्रत्यर्थी संख्या-5 को आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार विचार किया जाएगा। अतः किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा वर्तमान रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

9. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत जगदीश सिंह द्वारा दाखिल वाद अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था तथा स्वयं जगदीश सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना आवेदन पर उक्त वाद को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। यह भी विवादित नहीं है कि वाद पुनर्स्थापित होने के पश्चात् जगदीश सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन भी स्वीकार कर लिया गया है तथा वाद को पक्षकारों के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है।

10. यह उल्लेखनीय है कि वाद को निरस्त किए जाने के विरुद्ध स्वयं वादी-जगदीश सिंह द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना आवेदन स्वीकार कर वाद को मूल संख्या पर पुनर्स्थापित कर दिया गया है तथा मृतक जगदीश सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन आवेदन भी विधिवत् रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अतः ऐसे में राजस्व परिषद द्वारा वाद को पुनर्स्थापित किए जाने वाले आदेश को निरस्त करते हुए तथा विचारण न्यायालय को यह निर्देशित करते हुए कि वह सर्वप्रथम प्रतिस्थापन के प्रश्न पर विचार करे और तत्पश्चात पुनर्स्थापना पर विचार करे,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश पारित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत वाद एक विशेष प्रकृति का वाद है, जिसे तकनीकी आधारों पर नहीं बल्कि विधि अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए।

11. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या-2, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.2025 एवं 30.08.2025 के आदेश यथावत् बनाए रखे जाते हैं। विचारण न्यायालय /अपर उप जिलाधिकारी, रॉबर्ट्सगंज को निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त वाद का विधि अनुसार गुण-दोष के आधार पर शीघ्रतापूर्वक, यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह के अन्तर्गत निस्तारण करें।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

18 मार्च, 2026

वंदना वाई.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।